		म जारी हुए
8.04.2017	वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश किया। सिगेदार से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थीगण ने एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया की प्रथम दृष्ट्य मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि गई तो प्रार्थी को अपूर्णीयक्षति होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया स्थगन बाबत प्रथम दृष्ट्य मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीयक्षति के प्राप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है इसलिए टी.पी.एक्ट की धारा 52 की पालना की जावें। साथ ही स्थगन आदेश 39 नियम 3 क की पालना की जावें वाद प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि चक 15 ए. एम.पी. खाता संख्या 30/36 व 55/53 पं.नं. 136/160 मु.नं. 19 किला नं. 16/.228, 21 ता 24/.253 प्रे., 25/.228 पं.नं. 137/160 मु.नं. 20 किला नं. 21 ता 24/.253 प्रे. पं.नं. 136/161 मु.नं. 31 किला नं. 6/.228, 7/253 कुल 3.036 है. वादगत भूमि में दिनांक 18.05.2017 तक प्रार्थीगण के हिस्से तक की भूमि में जबरन कब्जा एवम् बेजा मेदाखलत नहीं करें बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है। इस सम्बन्ध में कोई उज्र व ऐतराज हो तो आगामी तारीख पेशी को असालतन या वकालतनामा हाजिर होकर पेश करे। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिंनाक 18.05.2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी संगरिया	
10-5-17	आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प जण्डवाला सिखान में पेश हुई वादी प्रतिवादी आंशिक उपस्थित आपसी सहमती नहीं बनी अतः राजस्व लोक अदालत में निस्तारण नहीं हुआ पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 7-7-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

पुनश्चय:

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र को नोट प्रेस किया है। अर्थात प्रा० पत्र पर आगे कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः मूल प्रार्थना-पत्र 212 RTA को वर्तमान स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे व मूल वाद-पत्र के संलग्न रहे।

शिविर प्रभारी (SDM)
न्याय आपके द्वार (SDM)
कैम्प स्थल जण्डवाला सिखान